(c), (d) and (e) The backlog in regularv acancies upto 1988-89 has been reported to the Department of Personnel and Training who are the central recruitment authority for these posts of Central Secretariat Service. Nominations are yet to be received from them.

(f) The backlog of regular vacancies intimated to the Department of Personnel and Training is given in the Table below:

Category	S.C.	S.T.
Group 'B'	4	6
Group 'C'	1	5

टेलीफोन निदेशिकाओं के मुद्रण में विलंब

1154. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रकों और ठेके संबंधी समस्याओं के कारण गुजरात के कुछ क्षेत्रों में टेलीफोन निदेशिकाएं मुद्रित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो मुद्रकों और ठेकेदारों के विरुद्ध उनके नाम काली सूची में शामिल किए जाने सहित क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में नियमों की जानकारी न होने के कारण इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन निदेशिकाओं के मुद्रण में विलम्ब के लिए टेलीफोन अधिकारी भी जिम्मेदार थे; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

गुजरात के निम्नलिखित गौण स्विचन क्षेत्रों (एसएसए) के लिए टेलीफोन डायरेक्टरियों का नियमित मुद्रण नहीं किया जा रहा है :—

(i) भड़ौच

(ii) अमरेली

(iii) अहमदाबाद ग्रामीण।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभागेत्तर कर्मचारी (ई०डी०ई०) प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी

1155 **श्री राम नरेश यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागेत्तर कर्मचारी प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या सरकार ने विभागेत्तर प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है और यदि हां, तो उस समिति के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इसकी सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग में कार्य कर रहे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संख्या, 2,98,743 थी। 1991-92 के दौरान उन पर हुआ व्यय 149.41 करोड़ रुपए था।

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अब नियमित कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता मिल रहा है तथा उन्हें उनकी वास्तविक परिलब्धियों पर बोनस भी दिया जाता है। उन्हें 1-4-1992 से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में भी शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) विभाग की अतिरिक्त विभागीय प्रणाली की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए और ऐसे संशोधनों और सुधारों का सुझाव देने, जो इस प्रणाली को कार्यकुशल, अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हों, 1984 में एक अतिरिक्त विभागीय प्रणाली जांच समिति (सब्बर समिति) गठित की गई थी। समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 171 सिफारिशें कीं। सभी 171 सिफारिशों की जांच कर ली गई है और स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मुख्य सिफारिशों की सूची सलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अतिरिक्त विभागीय प्रणाली की जांच समिति की प्रमुख सिफारिशें

1. समिति ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का समर्थन किया है तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारियों के वेतन से तुलनात्मक प्रति घंटे दर की सिफारिश की है।

2. नियमित कर्मचारियों को जब कभी मंहगाई भत्ता दिया जाए तो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को भी इसका भुगतान किया जाए।

3 डाक समंजन में डाक कार्यों के लिए ही अतिरिक्त विभागीय प्रणाली चालू रहेगी। समिति ने (i) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर (ii) विभागीय वितरण एजेंट, (iii) मेल वाहक, (iv) अतिरिक्त विभागीय पैकर, तथा (v) अतिरिक्त विभागीय मेल मैन को छोड़कर शेष सभी अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की श्रेणियों को समाप्त करने की सिफारिश की है।

4. अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट विक्रेताओं के संवर्ग को समाप्त करना।

5. ऐसे सभी अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को बंद करना (12,662) जो मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक दूसरे से 3 कि०मी० के भीतर कार्य कर रहे हैं।

6. वे सभी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (लगभग 35374) बंद कर दिए जायें जो अपनी लागत के 20% के बराबर आय अर्जित नहीं कर रहे हैं तथा डाक सुविधायें 50 रु० मासिक प्रतिधारक शुल्क पर लाइसेंस शुदा डाक एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जायें।

7. किसी अतिरिक्त विभागीय डाकघर के खुलने के 5 वर्ष बाद उसे चलाते रहने के लिए प्रतिवर्ष घाटे की अनुमत सीमा को अनुमानित लागत के मौजूदा 25 प्रतिशत से 2400/-रु० तक बढ़ा दिया जाए। पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में यह राशि अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 4800/-रु० प्रतिवर्ष कर कर दी जाए।

8. किसी अतिरिक्त विभागीय डाकघर को 5 साल के बाद भी चलाते रखने की सभी स्वीकृति दी जाए जब उससे होने वाली आय लागत का कम से कम 50 प्रतिशत हो और वह उपर्युक्त (vii) में उल्लिखित वार्षिक घाटे की सीमा के भीतर भी आता हो।

9. नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के सातवीं योजना के लक्ष्यों की पुनरीक्षा की जाए।

10. (क) जहां कहीं भी संभव हो, अतरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर,

अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट, अतिरिक्त विभागीय पैकर के कार्यों को एक ही कर्मचारी को सौंपना और उपर्युक्त (1) के अनुसार प्रति घंटे दर के आधार पर इस कर्मचारी को वेतन दिया जाए।

(ख) किसी शाखा डाकघर को उसके कार्यभार पर विचार किये बिना अनिवार्य रूप से 3 घंटे के लिए खोलने के मौजूदा मानदंडों में संशोधन करना।

11. उप मंडलीय डाकघर निरीक्षकों के लिए अर्दलियों की प्रथा को समाप्त करना और इसके बदले में उन्हें एक मुश्त राशि का भुगतान।

12. मेल ओवरसियर के संवर्गों को समाप्त करना।

13. सहायक उप मंडल निरीक्षक का संवर्ग प्रारंभ करना।

14. प्रत्येक शाखा डाकघर में उसी सिद्धांत पर कार्य घंटे के मूल्यांकन के लिए समय परीक्षण तैयार करना जैसाकि विभागीय डाकघरों के लिए किया जाता है।

15. उपदान प्राप्त करने की पात्रता के लिए कम से कम सेवा को 15 वर्ष से 5 वर्ष करना।

16. उपदान की राशि का भुगतान प्रत्येक पूरे वर्ष की गई सेवा के लिए आधे महीने की परिलब्धियों की दर पर किया जाए।

17. अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवां दर्जा निर्धारित किया जाए।

Functioning of Grievance Cell in the Ministry of Communications

1156. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is a complaint cell in his Ministry to look into the grievance of customers;

(b) if so, the number of complaints registered, month-wise during June, 1991 to May, 1992 with such cell and the number of these complaints attended to, so far; and

(c) what were the nature of complaints lodged with the cell and what steps Government have taken to improve the system management?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. Separate Public Grievance cells are functioning in the Department of Posts and Department of Telecom. under the Ministry of Communications to look into the Grievances of the customers.

(b) Statistical information on complaints dealt with during the period from June, 1991 to May, 1992 (month-wise) is given in Statement I for Postal Department and in Statement-II (*See below*). for Telecom. Deptt. laid on the Table of the House.

(c) The complaints were against various grievances as given below:

A. POSTAL

(i) Non-delivery | payment delay in delivery/payment, wrong delivery payment of unregistered, registered mails, Insured/Speed Post articles, Telegraphic and other Money Orders;

(ii) Abstraction of contents, forged/short payment of money orders including V.P. money orders;

(iii) Non-delivery/delay in delivery of Foreign mails/VP articles, abstraction of contents, removing of foreign stamps;

(iv) Complaints about different Small Savings Schemes—delay in settlement of claims;

(v) Indifferent behaviour of the staff non-availability of postal stationery;